



Neutral Citation No - 2026:AHC:35944

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट-सी संख्या - 2026 की 4312

शिव कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : रामशंकर, श्यामधर पाण्डेय
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 212(2) के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा दाखिल आवेदन पर जिलाधिकारी/कलेक्टर, शामली/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.12.2025 वर्तमान रिट याचिका में चुनौती के अधीन है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश अधिकारिता-विहीन है।

3. कुछ तर्क-वितर्क के पश्चात्, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी प्रार्थना सीमित कर ली और यह प्रार्थना की कि जिस प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष उपर्युक्त प्रकरण की कार्यवाहियाँ स्थानान्तरित की गई हैं, उसे उसे शीघ्रातिशीघ्र विनिर्णीत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. प्रकरण की इस स्थिति में तथा न्याय के हित में भी, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.12.2025 में हस्तक्षेप किए बगैर, वर्तमान रिट याचिका प्रतिवादी संख्या 2 अथवा अधस्थ न्यायालय, जिसके समक्ष उपर्युक्त प्रकरण स्थानान्तरित किया गया है, को उसे विधि अनुसार शीघ्रातिशीघ्र विनिर्णीत करने हेतु तथा इस तथ्य के दृष्टिगत कि याचिकाकर्ता अवयस्क है, निर्देशित करते हुए निस्तारित की जाती है।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

18 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"